सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–10.02.17 को प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

सूची संलग्न

बैठक प्रारंभ करते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् दिनांक–25.10.16 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन की समीक्षा की गई।

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष–2016–17 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय की समीक्षा है। वर्ष–2016–17 में सभी प्रकार की छात्रवृत्ति योजना यथा, प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना, मेधावृत्ति योजना एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत प्रतिबद्ध–देयता (Committed Liabilty) के लिए राशि एक सप्ताह के अन्दर विमुक्त कर दिया जाएगा। छात्रवृति योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि को 31, मार्च, 2017 के पूर्व योजनाबद्ध तरीके से नियमानुकूल व्यय करने के लिए सभी जिला कल्याण पदाधिकादियों को कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् महत्वपूर्ण संचालित योजनाओं के लक्ष्यों के प्राप्ति की समीक्षा की गई तथा निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(1) छात्रवृति योजना

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेगसराय (96.52%), समस्तीपुर(97.63%), मधुबनी(98.65%), वैशाली(88.52%), सारण (94.36%), एवं मुजफ्फरपुर(98.75%), में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के वितरण का प्रतिशत न्यूनतम है। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

राज्य स्तर पर वर्ष 2015–16 के लिए ऑन लाईन कुल 111804 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हार्ड कॉपी के रूप में कुल–95312 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अबतक कुल 92800 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति की राशि विमुक्त की गई है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्ष 2015–16 के लिए लंबित छात्रवृति पर अंतिम निर्णय लिया जाए तथा 100% प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए।

विभाग के स्तर पर गठित जाँच टीमों के द्वारा 32 फर्जी संस्थानों को चिन्हित किया गया है। विभागीय पत्रांक–4966 दिनांक–03.08.2016 के आलोक में सभी फर्जी संस्थानों पर प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करने का निदेश दिया गया है। पूर्वी चम्पारण, पटना, अरवल, गया, जहानाबाद, मधेपुरा और औरंगाबाद में प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR)

दर्ज की गई है। **बक्सर एवं नालन्दा** में छात्रों की सूची के साथ फर्जी संस्थान पर थाना में एक सप्ताह के अन्दर प्रथम इत्तिला प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

<u>प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत प्रतिबद्ध–देयता(Committed Liabilty)</u>

निदेश दिया गया कि वर्ष 2015–16 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को अगामी वर्षों के लिए पाठ्यक्रमवार प्रतिबद्ध–देयता (Committed Liabilty) के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.16 के आलोक में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर छात्रवृति का भुगतान दिनांक–31.03.2017 तक करना सुनिश्चित किया जाय।

<u>प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना</u>

विभागीय पत्रांक–5771 दिनांक–08.10.2016 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना की छात्रवृति वितरण में अनियमितता की जाँच हेतु गठित त्रि–सदस्यीय समिति के जाँच प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। यदि छात्रवृति वितरण में अनियमितता परिलक्षित होती है तो संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। साथ ही निदेश दिया गया कि प्रमण्डलीय उपनिदेशक(कं0) त्रि–सदस्यीय जाँच समिति का प्रतिवेदन जिला से प्राप्त कर यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वर्ष–2016–17 के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के संबध में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

(i) प्री–मैट्रिक में जितने छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75 % एवं उससे ज्यादा हो, उसें पूर्व निर्धारित दर पर छात्रवृति दी जाएगी। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर ही मान्य होगी।

(ii) जिला कल्याण पदाधिकारी विद्यालय छात्रवृति के लिए आवंटित राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी की मांग के आलोक में संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे।

(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा–निदेश में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में निर्धारित नियमानुसार छात्रवृति का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर छात्रवार विवरणी संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय कर ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

(iv) जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे। यह कार्य 31 मार्च, 2017 के पूर्व कर लिया जाए।

मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना

वर्ष 2015–16 में मेधावृत्ति योजना के लिए आवंटित राशि का वितरण शत–प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्ष 2016–17 में वर्ष–2016 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/– (दस हजार रू0) एवं ₹8000/– (आठ हजार रू0) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/– (पन्द्रह हजार रू0) एवं ₹10000/– (दस हजार रू0) की दर से भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त आकड़ों के आधार पर राशि विमुक्त की जा रही है। मेधावृत्ति का भुगतान जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र तथा अंक पत्र के जांचोपरांत उचित पहचान पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर एक मुश्त भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।

(2) वनबन्धु कल्याण योजनाः–

जनजातीय उप योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है। सभी जिला स्तरीय समिति को क्रियाशील किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही यह अवगत कराया गया कि वर्ष–2016–17 में वनबन्धु कल्याण योजना के अन्तर्गत अधिकतम जन जातीय आबादी वाले जिलों यथा, सारण, गोपालगंज, कैमूर, जुमई, रोहतास, प0 चम्पारण, बॉका, भागलपुर, सिवान, बक्सर, पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया के अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए (i) आवासीय पिछवाड़े में मछली पालन (मलेरिया उन्मूलन एवं पिछवाड़े में समेकित मछली पालन) (ii) सपूर्ण विद्युतीकरण (iii) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप गांवों के लिए सिंचाई सुविधा का परिवर्धन/सिंचाई की सहायता हेतु नलकुप (सरकारी नलकुप) मद के लिए राशि आवंटित की जाएगी। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी ससमय राशि की निकासी करना सुनिश्चित करेंगे।

(3) समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण

इस विभाग के माध्यम से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण में संचालित है। प0 चम्पारण के जनजाति (थारू जनजाति सहित) बाहुल्य प्रखण्डों यथा बगहा–2, रामनगर, गौनाहा एवं मैनाटाड़ में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विगत वर्षो में कुल ₹4577.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से कुल ₹3230.11 लाख की राशि व्यय की सूचना प्राप्त है। अवशेष राशि ₹1246.89 लाख है। अभिकरण द्वारा 252 योजनाओं के विरूद्ध 219 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष 33 लंबित योजनाओं को मार्च, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाए, साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाए। वर्ष 2016–17 के लिए योजनाओं का चयन शीघ्र करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर से टीम गठित कर लंबित योजनाओं का भौतिक जाँच की जाए।

समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण की योजनाओं की समीक्षा के लिए विभागीय पत्रांक–263 दिनांक–08.02.2017 द्वारा रोस्टर निर्धारित किया गया है।

(4) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2007

वनाधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन शिविर लगाकर करने का निदेश दिया गया। ग्राम पंचायत स्तर की समिति से प्राप्त दावों का निष्पादन कर अनुमंडल स्तर तथा जिला स्तर पर निर्णय लेते हुए जमीन का पट्टा का वितरण करने का निदेश दिया गया। बांका, रोहतास, कैमूर एवं गया के जिला कल्याण पदाधिकारियों को अगली बैठक के पूर्व प्राप्त दावों का निष्पादन प्रत्येक स्तर से कराकर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को ग्रामवार वन अच्छादन का प्रतिशत, वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का व्यक्तिगत डाटाबेस फरवरी, 2017 तक तैयार करने तथा जागरूकता शिविर का आयोजन करने का निदेश दिया गया।

विभागीय पत्रांक–5758 दिनांक–07.10.2016 द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–230011 दिनांक–18.10.2016 से प्राप्त पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त पत्र के अनुसार बिहार के कुल 22 जिलों यथा अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगुसराय एवं खगडिया जिला उग्रवाद(LWE) प्रभावित हैं। इन जिलों के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भारत सरकार की वेबसाईट http://forestrights.nic.in पर on line अपलोड करना है। सभी संबंधित जिला को निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भारत सरकार के वेबसाईट पर on line अपलोड किया जाए।

(5) <u>आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन, सामग्री क्रय एवं निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा</u>

(i) **आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन**

आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–4681 दिनांक–15.07.2016 एवं विभागीय पत्रांक–4680 दिनांक–15.07.2016 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक–26 फरवरी, 2017 तक छात्रावास संचालन समिति की बैठक का आयोजन करते हुए कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराया जाय। निदेश दिया गया कि छात्रावासों में दैनिक आवश्यकताओं, पेपर, मैगजीन, खेलकूद सामग्री एवं स्वच्छ जलापूर्ति पर ध्यान दिया किया जाए।

(ii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के स्थापना मद में आवंटित राशि का

प्रत्यार्पण:– सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 31 मार्च, 2017 तक के व्यय का आकलन कर लिया जाय तथा प्रत्यार्पण योग्य राशि को अविलम्ब प्रत्यार्पित किया जाय ताकि माँग के अनुरूप अन्य जिलों को राशि आवंटित की जा सके।

(iii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासो के लिए सामग्री क्रय

सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय जिला स्तर पर किया जाना है। सामग्री क्रय के लिए जिला स्तर पर निविदा का प्रकाशन एवं जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक आयोजित कर लिया जाए। जिला स्तर से चयनित आपूर्तिकत्ताओं को सामग्री आपूर्ति करने का आपूर्ति आदेश दिया जाए। आपूर्तिकर्त्ता से अभिश्रव प्राप्त कर राशि की निकासी कर ली जाए।

अद्यतन CTMIS के अनुसार **पटना, नालन्दा, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, गया, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढी, वैशाली, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, पूर्णियां, किशंनगंज, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, सारण, सिवान, सुपौल, मधेपुरा, एवं खगडिया** जिला से राज्य योजना में आवंटित राशि की निकासी नहीं की गई है।

अनु0 जाति के लिए विभागीय पत्रांक–59 दिनांक–24.11.2016 एवं अनु0 जनजाति के लिए विभागीय पत्रांक–28 दिनांक–10.08.2016 द्वारा क्रमशः ₹1200.00 लाख (बारह करोड़) एवं ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) मात्र आवंटित किया गया है।

निदेश दिया गया कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा 25 फरवरी, 2017 तक राशि की निकासी कर लिया जाए। सामग्री एवं पूर्ति मद में किसी भी प्रकार का प्रतिबद्ध–देयता (Committed Liabilty) नहीं रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के लंबित विपत्रों की राशि का भुगतान बकाया रहता है तो उसकी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। विभाग के स्तर से नियमित अनुश्रवण किया जाए।

(iv) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाए।

(ii) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं के लिए शौचालय–सह–बाथरूम, रनिंग वाटर आपूर्ति, विद्युतीकरण, नियमित रंग–रोगन एवं चाहरदिवारी इत्यादि को प्राथमिकता दी जाए तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ससमय प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

(iii) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए।

(iv) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की पूर्ण योजनाओं को हस्तांतरित करने के पूर्व संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभिंयता के साथ निरीक्षण कर लिया जाए एवं निर्माण की योजनाओं में कमियों या आवश्यक संशोधन का सुझाव प्राप्त कर लिया जाए।

(v) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं के लिए भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार कर लिया जाए तथा निश्चित रूप से दिनांक–30.04.2017 तक सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर प्राक्कलन विभाग को उपल्बध कराया जाय।

(v) जमीन की उपलब्धता

सभी संचालित आवासीय विद्यालयों का उत्क्रमण 720 आसन वाले 10+2 विद्यालय में किया जाना है।

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय मुरौल एवं बोचहा, (मुजफ्फरपुर), बांका, सुपौल शिवहर, शेखपुरा, दरभंगा, बक्सर तथा आमस, (गया) एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय किशनगंज, बक्सर, बांका एवं गया तथा सभी संचालित आवासीय विद्यालयों का उत्क्रमण 720 आसन वाले 10+2 विद्यालय में करने के लिए कम से कम 3 से 5 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किया जाय।

(vi) शिक्षकों का नियोजन

आवासीय विद्यालयों में **स्नातक स्तर के शिक्षकों के 322 रिक्त पदों** के विरूद्ध कुल 139 सेवानिवृत शिक्षकों का नियोजन किया गया है, जबकि मैट्रिक स्तर के शिक्षकों के 272 रिक्त पदों के विरूद्ध कुल 147 सेंवानिवृत शिक्षकों का नियोजन किया गया है। **पटना, भभुआ, भोजपुर, अरवल, सिवान, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, एवं बेगूसराय जिला से अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।** संबंधित जिलों को शीघ्र नियोजन पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

सभी को अवगत कराया गया कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग से स्नातक स्तर के शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के लिए अनुशंसा प्राप्त है।

(vii) लिपिकों के रिक्त पदों की सूचना

निदेश दिया गया कि प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी लिपिकों के पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आज की बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना–8, नालन्दा–3 बक्सर–5, गया–2 औरंगाबाद–4, सारण–4, गोपालगंज–5, मुजफ्फरपुर–3, शिवहर–1, प0 चम्पारण–4, पू0 चम्पारण–3, वैशाली–2, दरभंगा–2, मधुबनी–3, समस्तीपुर–3, सुपौल–3, मधेपुरा–4, अररिया–4, किशनगंज–2, कटिहार–2, भागलपुर–2, बांका–2, मुंगेर–6, बेगूसराय–4, उपनिदेशक–मुंगेर–2, पूर्णियां–1, सहरसा–2 दरभंगा–2, एवं भागलपुर–2 को रिक्त पदों की सूचना दी गयी।

(6) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम–2015 एवं संशोधन नियम–2016 से विभागीय पत्रांक–4297 दिनांक–03.06.16 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया है।

- **जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति**

26 जिलों में 2 या 3 बैठकें आयोजित की गई है :–

पटना, नालन्दा, भभुआ, रोहतास, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सिवान, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढी, प0 चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, किशंनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा एवं खगड़िया।

12 जिलों से 1 बैठक आयोजित करने की सूचना प्राप्त है:–

भोजपुर, औरंगाबाद, सारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, जमुई, बेगूसराय एवं कटिहार।

"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति" की बैठक 25, फरवरी 2017 तक आयोजित करने एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

- **Awarness Programme का आयोजन**

Awarness Programme एवं प्रचार–प्रसार के लिए सभी जिलों को विभागीय पत्रांक–49 दिनांक–13.10.2016 द्वारा कुल ₹87.50 लाख की राशि आवंटित की गयी है। इस मद की राशि का नियमानुसार व्यय कर लिया जाए।

- **अत्याचार राहत अनुदान**

  वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹635.53 लाख व्यय कर अबतक 1333 पीड़ितों को लाभ दिया गया है।

  सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अधिनियम–1989 के तहत गठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम–2015 एवं संशोधन नियम–2016 के आलोक में अत्याचार के पीड़ितों/आश्रितों को राहत अनुदान की राशि नियमानुसार के भुगतान करें तथा पेंशन एवं अन्य लंबित मामलों की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर इस मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो माँग पत्र भेजा जाए। लाभुकों की सूची Hard cpoy एवं Soft copy में उपलब्ध करायी जाए।

- **अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति**

  निदेश दिया गया कि "अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति" का गठन करते हुए बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी जाए।

- **विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा**

  निदेश दिया गया कि सभी जिलों में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा जिला पदाधिकारी के स्तर पर की जाए। संतोषजनक कार्य नही करनेवाले विशेष लोक अभियोजकों के विरूद्ध विधि विभाग को प्रतिवेदित किया जाए।

- **पेंशन योजना**

  इस माह तक 290 लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।

  सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अधिनियम–1989 की धाराओं के अन्तर्गत विगत 5 वर्षों की हत्या के मामलों की संख्या, थाना काण्ड संख्या एवं पीडितों का नाम, पूरा पता तथा हत्या के मामलों में आश्रित/विधवा को पेंशन योजना का लाभुकों की संख्या की पूर्ण विवरणी 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध कराई जाए।

(7) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गया जिला के 16 प्रखण्डों के अन्तर्गत 225 ग्रामों में संचालित है। विभाग द्वारा वर्ष–2015–16 में कुल ₹12.50 करोड़ मात्र की स्वीकृति आधारभूत संरचना के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व में 3716 योजनाओं का चयन किया गया है जिनमें से 3286 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

- शेष 430 चालू योजनाओं को मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वर्ष–2015–16 में आवंटित कुल ₹12.50 करोड़ की राशि का व्यय के लिए कार्य योजना तैयार कर योजनाओं का कार्यान्वयन समय–सीमा के अन्दर की जाए एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाए। उपनिदेशक कल्याण, गया प्रमंडल को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से प्रत्येक योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेगें।

(8) प्राक् परीक्षा केन्द्र

- सभी प्राक् परीक्षा केन्द्रों में गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय के अन्दर प्रशिक्षण दिया जाए। निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति के अधिकतम छात्र–छात्रा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं केन्द्र निदेशक समन्वय स्थापित कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगें एवं प्राक् परीक्षा केन्द्र से सफल होनेवाले छात्र/छात्राओं का पूर्ण विवरणी विभाग को उपलब्ध करायेगें।

(9) आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र

- आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए संधारण मद में राशि उपलब्ध करायी गई है। पूर्णियां एवं जमुई जिला के आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों का मरम्मति कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियां एवं जमुई मरम्मति कार्य का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों, कटिहार, रोहतास एवं कैमूर के मरम्मति कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(10) महादलित विकास की योजना

- सभी उपनिदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाएँ यथा, विकास मित्र का चयन, सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण, विशेष विद्यालय योजना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया था। जिसका प्रतिवेदन अप्राप्त है।

- **सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण योजना** के लिए 5045 लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 4356 का स्थल चयन किया गया है। 2804 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं 2241 योजनाएँ अपूर्ण हैं। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं उपनिदेशक कल्याण मार्च, 2017 तक योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए विकास मित्रों को निदेश दिया जाए। जिन विकास मित्रों के द्वारा योजनाओं को पूर्ण कराने में रूचि नही ली जा रही है, उनपर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उनके नियोजन को समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।

- वित्तीय वर्ष–2016–17 में सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण योजना के लिए भवन निर्माण विभाग से पाईल फाउंडेशन के लिए ₹20,97,500/–(बीस लाख सन्तानवे हजार पांच सौ रू0) एवं ओपेन फाउडेशन के लिए ₹20,55,000/–(बीस लाख पचपन हजार रू0) का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त किया गया है।

- **विकास मित्रों का नियोजन**
  विकास मित्रों के रिक्त स्थानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विकास मित्रों के सभी रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निदेश दिया गया।

(11) **ए.सी./डी.सी. एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र–**
समेकित प्रतिवेदन के अनुसार 19 जिला यथा, गया, रोहतास, प0 चम्पारण, भभुआ, जमुई, पटना, सुपौल, सीतामंढी, अररिया, नवादा, छपरा, मुंगेर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली जिलों में ₹1.37 करोड़ से अधिक की राशि का ए.सी. बिल के विरूद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बहुत बड़ी राशि का अभी तक सामंजन नहीं हुआ है।

निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अन्दर सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अभियान चलाकर सहायक अनुदान एवं ए.सी. बिल के विरूद्ध डी.सी. बिल के लंबित मामलों का निष्पादन कर दें। साथ ही वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त आवंटन के आलोक में ए.सी./डी.सी. तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।

(12) **माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले:–**
CWJC के 6 मामले लंबित हैं। आने वाले एक पक्ष के अन्दर सभी लंबित मामलों में प्रति शपथ पत्र दायर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा इसकी सूचना विभाग को भेजी जाए ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(13) **सेवान्त लाभः–**

विभाग में सेवान्त लाभ के 17 मामले लंबित है। सेवान्त लाभ के मामलों में पेंशन, उपादान, सा0 भ0 नि0, ग्रुप बीमा एवं उपार्जित अवकाश के लंबित ममालों में सेवानिवृत्त कर्मी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों/उपनिदेशक अपने–अपने कार्यालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर लें एवं प्राथमिकता के आधार पर सेवांत लाभों का निष्पादन करें।

(ii) सेवान्त लाभ के संबंध में समीक्षात्मक बैठक अलग से बुलाई जाए। सेवान्त लाभों के मामलों में में जिन कर्मियों की शिथिलता के कारण ससमय भुगतान सुनिश्चित नही हो सका है, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(14) **लम्बित विभागीय कार्यवाहीः–**

जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के 14, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के 16, घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जानेवाले 3 प्र0 क0 पदा0, एवं अन्य के 16 मामले लंबित हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(15) **लोक शिकायत निवारण अधिनियम–2016 की समीक्षा :–**

निदेश दिया गया कि सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम–2016 के लिए निर्गत परिपत्रों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। छात्रवृति, आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम इत्यादि के मामलों में अनावश्यक अपील को विभाग स्तर पर नही भेजा जाए। प्रायः यह देखा जा रहा है कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के मामलों में जिला कल्याण पदाधिकारी विभाग से अनावश्यक पत्राचार कर रहे हैं, जबकि निर्णय जिला स्तर पर लिया जाना है। अगली राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम की जिलावार लंबित परिवादों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

17.2.17.

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड 417 पटना, दिनांक– 20.02.17

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड 417 पटना, दिनांक– 20.02.17

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(क0)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(बैठक)05–02/2014–खण्ड 417 पटना, दिनांक– 20.02.17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

proceeding 10.02.17

दिनांक 10.02.2017 को सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति की अध्यक्षता में उप निदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों की बैठक की उपस्थिति :–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	उपनिदेशक, कल्याण का नाम /जिला कल्याण पदाधिकारी	हस्ताक्षर	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5
1	पटना प्रमंडल	इंद्र कुमार, प्रभारी उपनिदेशक कल्याण	[signature] 10.2	7739923982
2	मगध प्रमंडल			
3	तिरहुत प्रमंडल	रत्न कुमार	[signature]	9122979199
4	सारण प्रमंडल	रत्न कुमार	[signature]	
5	दरभंगा प्रमंडल	सुनील कुमार वर्मा	[signature] 10/2/17	9835421577
6	कोशी प्रमंडल	मीना सिन्हा	[signature] 10/2/17	9470034149
7	पूर्णिया प्रमंडल	वीरेन्द्र चौधरी	[signature] 10/2/17	9430883183
8	मुंगेर प्रमंडल	नरेन्द्र कुमार शर्मा	[signature] 10.2.017	9431212082
9	भागलपुर प्रमंडल	अशोक कुमार नन्दी	[signature] 10/02/2017	8877882391
	जिला			
1	पटना	सुन्दर प्रसाद चौरसिया	[signature] 10/2	9430003994
2	नालन्दा	ओम प्रकाश	[signature] 10/2/17	9955056408
3	रोहतास	शान्ति भूषण कुमार आर्य	[signature] 10.02.17	9006622219
4	भोजपुर	प्रकाश कुमार	[signature]	8051800950
5	भभुआ	कन्हैया राम	[signature] 10/02/17	9934794166
6	बक्सर	विनोद कुमार	[signature] 10.2.17	7277880418
7	सीतामढ़ी			
8	पू0 चम्पारण	अशोक कुमार [illegible]	[signature] 10/2/17	7766045145
9	प0 चम्पारण	[signature] BWO, Bettiah ओमेन्द्र कुमार	[signature] 10.02.17	7870386303
10	हाजीपुर	Upendra Kumar Yadav	[signature] 10/2/017	9525625476
11	मुजफ्फरपुर	Abdul Rashid Ansari	[signature] 10/02/17	9470641399
12	शिवहर	Sunil Kr Sharma	[signature] 10/2/17	9431025705
13	गोपालगंज	Krishna Kumar Sinha	[signature] 10/2/17	9931248027
14	सारण	Kaushal Kishor Paswan	[signature] 10.2.17	9430561792
15	सिवान	Arun Kumar Sinha	[signature] 10/2/17	9934987439

	प्रमंडल का नाम	उपनिदेशक, कल्याण का नाम /जिला कल्याण पदाधिकारी	हस्ताक्षर	मोबाइल नं0
16	पूर्णिया	Rajesh Verma	10/2/17	9771664170
17	किशनगंज	[illegible]	10/2/17	7543028501 75430
18	अररिया	Prabhat Kr. Jha	10/2/17	7070102231
19	कटिहार	[illegible] कुमार मिश्रा	[illegible]	9430030440
20	मुंगेर	[illegible]	[illegible]	9835450470
21	बेगूसराय	Kumar Anil Sinha	[illegible]	9334812990
22	खगड़िया	K. K. [illegible]	[illegible]	[illegible]
23	लखीसराय	R. K. Ram	10/04	9431851394
24	शेखपुरा	Birendra Kumar	10/02/17	9430001559
25	जमुई	Satya Narayan Ram	10/2/17	9516820014
26	गया	[illegible]	10/	9430059364
27	नवादा	Balwant Bahadur Pandey	10/2/17	9931066207
28	औरंगाबाद	Ravi Shankar Prasad	10/2/17	9835608550
29	अरवल	Niranjan Kr.	10/2/17	7739123083
30	जहानाबाद	Subodh Ram	10/2/17	9431894311
31	सहरसा	Ashutosh Kumar	10/2/17	9431165518
32	सुपौल	[illegible]	10/2/17	9939953825
33	मधेपुरा	Manoj Kumar B.W.O.	[illegible]	[illegible]
34	समस्तीपुर	[illegible] D.W.O.	10/2	9801317410
35	दरभंगा	S.N. [illegible] D.W.O.	10/2/17	[illegible]6739
36	मधुबनी	[illegible] S.W.O.	10/2/17	91609457 48
37	भागलपुर	Arun Kumar	10/2/17	9334170100
38	बाँका	[illegible]	10/2/17	8674817715